

सरकारी कार्यालयों के संबंध में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रपत्र

1.	मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/सांविधिक निकाय का नाम				
2.	अनुभाग का नाम और कमरा नं. जिसका आधुनिकीकरण अपेक्षित है।				
3.	आधुनिकीकरण के लिए औचित्य/यदि एयर कंडीशनर खरीदे जा रहे हो तो औचित्य के संबंध में पृथक पैरा (फार्मेट संलग्न)				अनुबंध-II (लाभार्थी द्वारा फार्मेट निर्णीत किया जाना है)
4.	प्रस्ताव का घटक-वार ब्यौरा तथा निधि अपेक्षा - रु. में				
क्र.सं.	अपेक्षित मद	सं.	25% लागत अर्थात् लाभार्थी का हिस्सा (रु. में)	75% अर्थात् प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का हिस्सा (रु. में)	कुल (रु. में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(i)	सिविल				
(ii)	विद्युत				
(iii)	फर्नीचर और फिक्स				
(iv)	कंप्यूटर				
(v)	भंडारण				
(vi)	अन्य				
कुल					
5.	क्या विगत में इस कार्यालय द्वारा कोई लाभ प्राप्त किया गया है	हां/नहीं । (यदि हां तो राशि और किस वर्ष प्राप्त किया गया तथा संगत ब्यौरा) - अनुबंध - II			
6.	वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन	अनुबंध - III			
7.	रूप रेखा योजना	अनुबंध - IV			
8.	सभी मदों का आकलन	अनुबंध -V			
9.	जीएफआर -2005 के अनुसार सीपीडब्ल्यूडी के अलावा किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा निष्पादित किया जा रहा हो तो सीपीडब्ल्यूडी से अनापत्ति प्रमाणपत्र जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि वे स्कीम/अद्यतन सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका में उल्लिखित	अनुबंध- VI			

	मानकों एवं दरों के अनुसार है।	
10.	कम्प्यूटरों के प्रापण के संबंध में, एनआईसी से प्रमाण पत्र जिसमें प्रापण किए जाने वाले कम्प्यूटरों की संख्या और विनिर्देशनों को इंगित किया गया हो।	अनुबंध - VII
11.	लाभार्थी कार्यालय के पी एंड ए ओ को ई-भुगतान करने के लिए नाम, पता, टेलीफोन नं. और ई-मेल तथा खाता नं.	अनुबंध - VIII
12.	लाभार्थी कार्यालय के लेखा नियंत्रक का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर और ईमेल	
13.	ई-भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् सीपीडब्ल्यूडी के पी एंड ओ का नाम, पता और टेलीफोन नं और खाता नं.	
14.	यदि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा हो तो कार्यकारी अभियंता (सिविल) और कार्यकारी अभियंता (विद्युत) दोनों का नाम और पता	

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम और पता\*

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का नाम

टेलीफोन नं. /फैक्स नं. और ई-मेल

\* कम से कम सचिव स्तर